कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
गैरसैंण

Phone No/ Fax No: 01363.278533 Mail: eecdgairsain@rediffmail.com

पत्रांक /1एल.ए. दिनांक 14/09/2021.

सेवा में,

उप वन संरक्षक,
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग,
गोपेश्वर।

विषयः– जनपद चमोली में विधान सभा क्षेत्र कर्णप्रयाग के अन्तर्गत पंजीयाणा – घण्डियाल मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.988 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भः– भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून का पत्र संख्या 08 बी0/यू0सी0पी0/06/38/2016/एफ0सी0/2080, दिनांक 14/03/2017.

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि इस खण्ड के अन्तर्गत उक्त मार्ग पर सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी, सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित 8 शर्तो की अनुपालन आख्या बिन्दुवार प्रेषित की जा रही है–

1 शर्त संख्या 01 के अनुपालन में प्रस्तावित स्थल के प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि रू0 10,07,248.00 मात्र वन विभाग के पक्ष में NEFT/ RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA, APPLICATION NO. ROAD 96122015261 Date 19/08/2017 द्वारा धनराशि जमा कर दी गयी, भुगतान चालान की प्रति संलग्न है। तथा जिलाधिकारी, चमोली के आदेश सं0 4868/छब्बीस–24 (2016–17) गोपेश्वर, दिनांक 26 जुलाई, 2017 द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 1.988 है0 के सापेक्ष दोगुनी भूमि 3.976 है0 का वन विभाग के पक्ष में नामान्तरण/हस्तान्तरण किया गया, भुगतान चालान एवं जिलाधिकारी, चमोली का आदेश पत्र दस्तावेज संलग्न है।

2 शर्त संख्या 02 के अनुपालन में भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3 /2007–एफ0सी0 दिनांक 05/02/2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य एन0पी0वी0 की धनराशि रू0 16,79,860.00 मात्र वन विभाग के पक्ष में NEFT/RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA, APPLICATION NO. ROAD 96122015261 Date 19/08/2017 द्वारा जमा कर दी गयी, भुगतान चालान की प्रति संलग्न है।

3 शर्त संख्या 03 में शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढोतरी होती है तो बढी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि नियमानुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी, जिसका की प्रमाण पत्र संलग्न है।

4 शर्त संख्या 04 के अनुपालन में सभी निधियां (CA cost, NPV etc.) को वैब पोर्टल पर Online Generate किये गये चालान के माध्यम से ऑनलाइन बैंक में जामा किया गया है, चालान की प्रति संलग्न है।

5 शर्त संख्या 05 में सडक निर्माण के पश्चात दोनों किनारों पर इस खण्ड़ द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख रेख में Strip Plantaiton की जायेगी, वचन बद्धता प्रमाण पत्र संलग्न है।

6 शर्त संख्या 06 में प्रतिपूरक वृक्षारोपण में 40% बांज (Oak) के पौधों का रोपण का प्रमाण पत्र आपके द्वारा दिया जाना है।

7 शर्त संख्या 07 में इस खण्ड़ द्वारा संशोधित दस्तावेजों की मूल प्रति अभिलेख हेतु प्रेषित है।

8 शर्त संख्या 08 में संशोधित FRA Certificate को Online Part-1 में यथास्थान Upload कर दिया गया है।

पूर्व में इस खण्ड़ द्वारा हार्ड कापी भारत सरकार को प्रेषित कि गयी, जिसके अनुपालन में भारत सरकार से सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी। अतः उक्त बिन्दुओं पर अपने स्तर से नोडल अधिकारी वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून को विधिवत स्वीकृति हेतु अपनी संस्तुति सहित प्रेषित करने की कृपा करें, जिससे मार्ग में अग्रिम आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

(इं0 सुनील कुमार)
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड,लो0नि0वि0,
गैरसैंण।

पत्रांक 1255/1LA तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः– जिलाधिकारी महोदय, चमोली को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– अधीक्षण अभियन्ता महोदय, 7वॉं वृत्त, लो0नि0वि0, गोपेश्वर को सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड,लो0नि0वि0
गैरसैंण